

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी सुभाष पुत्र फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी हरियाजून तह. कुचामनसिटी	ब ना म	प्रतिवादीगण मनोज तिवाड़ी पुत्र प्रेमकुमार उर्फ प्रेमप्रकाश तिवाड़ी जाति ब्राह्मण सा. हरियाजून वगैरह
राजस्व वाद = दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नम्बर 217 /2023		GCMS No.2023/ 350
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय. इनिलियल्स जज	
नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए		
04.07.2023	वकील वादी द्वारा यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 04.08.2023 को पेश हो।	
	 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> 4/8/2023 वकील वादी उपर प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन प्रदत्त करके पत्रावली दिनांक 11/9/2023 को पेश हो </p> <p style="text-align: center; margin: 0;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> 8/8/2023 वकील वादी के क्लिप पर पत्रावली का कम्प्लेंट पर लीगल ऑप्शन पर प्रदत्त कर पत्रावली किया है कि आपली क्लिप के पराजय के क्लिप शरीरगत हो चुका है इतिहास वाद का के जमाना नहीं आते। इस वाद पर विड्यो क्लिप का जमाना आने पर वादी जांच विड्यो क्लिप किया जाता है पत्रावली केवल शुमार के कम्प्लेंट के पर लेवा करिक कम्प्लेंट के। </p>	
	 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

2/11/23
 vdky
 [Signature]

